

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य-920/2015-

/राँची, दिनांक

प्रेषक,

ई० मुक्तिसाधन चौरसिया,
सरकार के उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०-हिन्, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- बतरे जलाशय योजना के नहरों का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य हेतु कुल रु० 926.915 लाख (रुपये नौ करोड़ छब्बीस लाख एकानवे हजार पाँच सौ) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर प्रक्षेत्राधीन पलामू जिलान्तर्गत छत्तरपुर प्रखण्ड में अवस्थित बतरे जलाशय योजना के नहरों का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य हेतु कुल रु० 926.915 लाख (रुपये नौ करोड़ छब्बीस लाख एकानवे हजार पाँच सौ) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. इस कार्य के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य कराया जायेगा :-
 - i) बतरे जलाशय योजना के मुख्य नहर के कि०मी० 0.00 से 5.305 कि०मी० तक पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य।
 - ii) इसके देवगन वितरणी के कि०मी० 0.00 से 4.00 कि०मी० तक पुनर्स्थापन कार्य।
 - iii) इसके अंधेरीबाग वितरणी के कि०मी० 0.00 से 2.896 कि०मी० तक पुनर्स्थापन कार्य।
 - iv) इसके पिपरा वितरणी के कि०मी० 0.00 से 2.378 कि०मी० तक पुनर्स्थापन कार्य।
 - v) बतरे जलाशय योजना के गेट एवं इसके अन्तर्गत विभिन्न संरचनाओं का यथा Intake well, Outlets, Inlets, Falls, CD works, Bridges एवं Escape का पुनर्स्थापन/निर्माण कार्य।
4. इस कार्य के उपरान्त 650 हे० में सिंचाई क्षमता पुनर्बहाल हो सकेगा।
5. यह कार्य वर्ष 2017-18 में प्रारम्भ कर वर्ष 2018-19 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
6. इस योजना के असैनिक कार्यों का कार्यान्वयन अग्रिम योजना प्रमण्डल, पलामू द्वारा कराया जायेगा। असैनिक कार्यों हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, अग्रिम योजना प्रमण्डल, पलामू होंगे एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

7. इस योजना का यांत्रिक कार्य यांत्रिक प्रमण्डल, मंडल, लातेहार, शिविर मेदिनीनगर द्वारा कराया जायेगा। यांत्रिक कार्यों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक प्रमण्डल, मंडल, लातेहार, शिविर मेदिनीनगर होंगे एवं मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
8. इस योजना पर होने वाला व्यय —
मुख्य शीर्ष '4701' — मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप-मुख्य शीर्ष — 80 सामान्य लघु शीर्ष — 800—अन्य व्यय, उपशीर्ष—54—सिंचाई योजना का ई०आर०एम० विस्तृत शीर्ष—05 निर्माण, 45—निर्माण कार्य, के अन्तर्गत प्रावधानित राशि के अधीन विकलनीय होगा।
9. इस योजना के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। निर्माण सामग्रियों के ढुलाई की दूरी (lead) सामग्री उपलब्धता के अनुसार न्यूनतम रखा जाय, जिसे अधीक्षण अभियंता जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे।
10. इस कार्य के पूर्व एवं कार्य कराने के बाद कार्य स्थल का स्टील फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी करा ली जायेगी।
11. कार्य कराने के पूर्व असंबद्ध प्रमण्डल द्वारा प्रि—लेवल की मापी एवं प्रस्तावित कार्य के मात्रा की जाँच करा ली जायेगी।
12. उक्त कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. इस कार्य के लिए राशि की निकासी पलामू कोषागार, पलामू से की जायेगी।
14. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
15. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम—300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
16. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।
17. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
19. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०—हिन्, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह०/—

(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

ज्ञापांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य—920/2015— /राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना —सह— वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

ज्ञापांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य-920/2015- /राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, पलामू कोषागार, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

ज्ञापांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य-920/2015- ०८/१७-१८५.खी. /राँची, दिनांक १५.०५.२०१७

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, औरंगा निर्माण अंचल, मेदिनीनगर/कार्यपालक अभियंता, अग्रिम योजना प्रमण्डल, पलामू/कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक प्रमण्डल, मंडल, लातेहार, शिविर मेदिनीनगर/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०-3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)